

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(Trans)2021/एफसीए/प्रमुवसं/ 7378

दिनांक 04-07-2023

विशेषाधिकारी,  
वन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.1004 ha. of forest land in favor of RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap (Total Length 9644 Meters).  
(Proposal no. FP/RJ/TRANS/145262/2021)

संदर्भ:- राजस्थान सरकार, वन विभाग का पत्रांक प. 1(156)वन/2022 दि. 09.01.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के पत्रांक 5655 दिनांक 21.08.2023 से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	यूजर एजेन्सी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	यूजर एजेन्सी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	यूजर एजेन्सी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	यूजर एजेन्सी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	यूजर एजेन्सी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभीकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी की अण्डरटैकिंग संलग्न है।

8	<p>प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदुपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।</p>	<p>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिला कलक्टर जोधपुर से एफ.आर.ए. का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)</p>
9	<p>उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जायेगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण की बचनबद्धता संलग्न है एवं विभाग द्वारा की गई मांग अनुसार राशि कैम्पा मद में OSMFWP द्वारा सृजित चालान से जमा कराई है :- जमा राशि :- 103000/- यूटीआर संख्या :-SBINR12023042445303486 date 24-4-23</p>
10	<p>प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।</p>	<p>यूजर एजेन्सी की अप्रडरटेकिंग संलग्न है।</p>
11	<p>प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन पर होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest &amp; wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>इस बाबत विभाग द्वारा की गई आवश्यक मांग राशि निम्नानुसार कैम्पा मद में OSMFWP द्वारा सृजित चालान से जमा कराई है :- जमा राशि :- 107869/- यूटीआर संख्या :-SBINR12023042445303486 date 24-4-23</p>
12	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest &amp; wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई राशि धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदुपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।</p>	<p>इस बाबत विभाग द्वारा की गई आवश्यक मांग राशि OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान से कुल राशि 67282/- रु. दिनांक 24.4.23 को ई-चालान द्वारा जमा करवा दी गयी है। (चालान की प्रति संलग्न)</p>

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर

दिनांक 21/08/2023

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवस/2023/5655  
निमित्त

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)  
एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान,  
जयपुर

विषय : Diversion of 0.1004 ha. forest land for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS BAP Tehsil Bap District Jodhpur (Rajasthan). (FP/RJ/Trans/145262/2021)

संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(156)वन/2022 दिनांक 9-1-23 एवं उप वन संरक्षक, जोधपुर का पत्रांक 8691 दिनांक 16-8-23

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विषयांकित वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(156)वन/2022 दिनांक 9-1-23 द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उप वन संरक्षक, जोधपुर ने संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर स्वयं की टिप्पणी सहित प्रस्तुत की है, जिससे यह कार्यालय सहमत है। बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तें	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अम्बरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अम्बरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
3	यद्यपि विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु अनुरोध उपाय किये जावेंगे।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अम्बरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अम्बरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जावेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अम्बरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल	इस आशय का यूजर एजेन्सी से

2452  
28-08-2023

TLC

28/8

Kaj/Kaj Ref No. : 4535296

Signature valid

Digitally signed by S P Vankateswara  
Murthy  
Designation : Chief Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.08.21 16:44:14 IST  
Reason: Approved



	आपूर्ती की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
8	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ द्वारा एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदुपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जिला कलक्टर जोधपुर से एफ.आर.ए. का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
9	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण कराया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बाबत बचनबद्धता प्रस्तुत की है एवं विभाग द्वारा की गई मांग राशि रु 103000/- निम्नानुसार कैम्पा मद में OSMFWP द्वारा सृजित चालान से जमा कराई है :- जमा राशि :- 103000/- यूटीआर संख्या :-SBINR12023042445303486 date 24-4-23
10	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
11	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन पर होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बाबत विभाग द्वारा की गई आवश्यक मांग राशि रु 107869/- निम्नानुसार कैम्पा मद में OSMFWP द्वारा सृजित चालान से जमा कराई है :- जमा राशि :- 107869/- यूटीआर संख्या :-SBINR12023042445303486 date 24-4-23
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बाबत विभाग द्वारा की गई आवश्यक मांग राशि रु 67282/- वेब पोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान से कुल राशि 67282/- रु. दिनांक 24.4.23 को ई-चालान द्वारा जमा

Signature valid

Digitally signed by S R Venkateswara Murthy  
Designation : Chief Conservator Of Forest  
Date: 2023.08.21 08:44:14 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4555296



	के तदर्थ निकाय वेबपोर्टल OSMFWP (online submission and Monitoring of forest & wild life clearance portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगा। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई राशि धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	करवा दी गयी है। (चालान की प्रति संलग्न)
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	इस आशय का यूजर एजेन्सी से अण्डरटैकिंग प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न)
15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012 एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृत प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया गया है (प्रति संलग्न)

अनुपालना रिपोर्ट की दो प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(एस आर वी मूर्थी)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर

क्रमांक एफ ( )एफसीए/मुवस/2023/5656-57  
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक 21/08/2023

1. उप वन संरक्षक, जोधपुर
2. सहायक अभियन्ता (टीएण्डसी) आरवीपीएनएल बडला तहसील फलौदी जोधपुर।

Signature valid

Digitally signed by S R Murthi  
Murthy  
Designation : Chief Conservator Of  
Forest  
Date: 2023.08.21 06:44:14 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4555296



कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोडरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)-342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ (139)/एफ.सी.ए/उवसं/2023/8691

दिनांक: 16/8/23

निमित्त: श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक  
जोधपुर।

विषय :- Diversion of 0.1004 ha of forest land for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil - Bap, District -Jodhpur (Rajasthan), Proposal No: FP/RJ/TRANS /145262/2021

संदर्भ:- शासन सचिव, राजस्थान सरकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09.01.2023, इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ (139)/एफ.सी.ए/उवसं/2022/ 624 दिनांक 25-01-2023 एवं प्रयोक्ता अभिकरण पत्रांक डी-65 दिनांक 19.07.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में राजस्थान सरकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक प. 1 (156) वन/2022 दिनांक 09.01.2023 द्वारा Diversion of 0.1004 ha of forest land for Construction of 132 KV S/C Badisid-Bap TSS Transmission Line on D/C Tower from 220 KV GSS Badisid to Railway TSS Bap, Tehsil -Bap, District -Jodhpur (Rajasthan), Proposal No: FP/RJ/TRANS /145262/2021 में वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु शर्ताधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी कर अनुपालना रिपोर्ट प्रयोक्ता अभिकरण से चाही गयी थी। जिसकी अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 11.08.2023 से सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की है। जिसका विवरण बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	वचनबद्धता संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Ajit Chchoi  
Designation Deputy Conservator  
Of Forest  
Date: 2023.08.16 11:03:10 IST  
Reason: Approved

कृ०पू०उ०

RajKaj Ref No. : 4520880



शर्त सं.	अधिरोपित शर्त	अनुपालना
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी,, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।	वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण, स एवं राज्य सरकार, वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना में श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा जारी एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट क्रमांक 2242 दिनांक 10.07.2023 संलग्न है।
9.	उप वन संरक्षक द्वारा विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करवाया जावेगा।	प्रस्तावित प्रस्ताव में विद्युत लाईन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की योजना बनाकर मुख्य वन संरक्षक से अनुमोदन करा प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वृक्षारोपण करवाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा छोटे/बौने पौधों (औषधीय महत्व) के वृक्षारोपण की धनराशि केम्पा फण्ड में जमा करायी गयी है जो निम्नानुसार है :- रु. 1,03,000.00 UTR No. 5811202304241188486 Date: 24.04.2023

Signature valid

Digitally signed by Ait Bchoi  
Designation Deputy Conservator  
Of Forest  
Date: 2023.08.16 11:03:10 IST  
Reason: Approved

कू०पू०उ०

RajKaj Ref No. : 4520880



शर्त सं.	अधिरूपित शर्त	अनुपालना
10.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	वचनबद्धता संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु.1,07,869.00 UTR No. SBIN12023042445303486 Date: 24.04.2023 को कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि एवं वचनबद्धता संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हों) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है; जिसका विवरण नियमानुसार है :- राशि. रु. 67,282/- UTR No. SBIN12023042445303486 Date: 24.04.2023 वचनबद्धता संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Ajit Dchoi  
Designation Deputy Conservator  
Of Forest कृ०पृ०उ०  
Date: 2023.08.16 11:03:10 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4520880



शर्त सं.	अधिरूपित शर्त	अनुपालना
13.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	वचनबद्धता संलग्न है।
14.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	वचनबद्धता संलग्न है।
15.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की प्रतियां एवं वचनबद्धता संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार 3-3 प्रस्ताव फोल्डर में

भवदीय

(अजित उचोई)  
उप वन संरक्षक  
जोधपुर  
दिनांक:

क्रमांक: सम/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, अरण्य भवन, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. AEN (T&C), RVPNL, Bhandla Tehsil Phalodi Dist- Jodhpur को सूचनार्थ प्रेषित है।

**Signature valid**

उप वन संरक्षक  
Digitally signed by Ajit Uchoi  
Designation Deputy Conservator  
Of Forest  
Date: 2023.08.16 11:03:10 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4520880

